कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन , मीठापुर, पटना - 800001

ई-मेल–diragri-bih@nic.in वेबसाइट –state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स– 0612-2215895

पत्रांक– BRJM (38 जिला)–14 / 2026- 562 दिनांक- 13/8/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)
सभी जिला कृषि पदाधिकारी
सभी सहायक निदेशक (रसायन)–सह–नोडल पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी।

विषयः– **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर / बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 का कार्यान्वयन अनुदेश उपलब्ध करने के संबंध में।**

प्रसंग– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–BRJM (38 जिला)–14 / 2026–पी0पी0एम0–58 दिनांक–31.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–544 दिनांक–10.08.2026 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर / बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत्यादेश सं0–BRJM (38 जिला)–14 / 2026–पी0पी0एम0–58 दिनांक–31.07.2026 आपको उपलब्ध कराया जा चुका है।

कार्यान्वयन अनुदेश में DBT पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की तिथि–30.09.2026 तक निर्धारित की गई है।

अतः सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर / बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि कार्यान्वयन अनुदेश का अक्षरसः पालन करते हुए ससमय योजना में शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–/ 562 दिनांक– 13/8/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 562 दिनांक– 13/8/2026

प्रतिलिपिः–उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\DRIVE D\LETTER 2025-26\DIR Letter Head Format (Copy).Docx

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कार्यान्वयन अनुदेश।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई एवं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 3017.50 लाख (तीस करोड़ सतरह लाख पचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या–BRJM (38 जिला)–14/2026–पी0पी0एम0–58, दिनांक–31.07.2026 द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–01–04 के आलोक में किया जाएगा।

योजना का उद्देश्यः–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुख्य रूप से सब्जी की जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना तथा जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर जैव एवं कार्बनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति का संरक्षण, मानव एवं अन्य प्राणियों के जीवन तथा पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा, जिससे फसल लागत मूल्य में कमी आयेगी तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस योजना अन्तर्गत कुल **3,74,740** मानव दिवस सृजित होने की संभावना है।

योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रमवार/घटकवार अनुदेश निम्नवत् है–

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाईः–

1. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती के साथ पशुपालन (गाय, भैंस, बैल आदि) करते हों। एक किसान पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु अधिकतम 03 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
2. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु ईट का स्थायी रूप से पीट तैयार किया जायेगा। पीट का आकार 10'X3'X2.5'=75 घन फुट का होगा। दीवार की मोटाई **5"** से कम नहीं होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढ़ंकना आवश्यक होगा। मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का फर्श ईट का बना हो।
3. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रू0/इकाई, दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान देय है। एक किसान को अधिकतम 03 (तीन) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु ही अनुदान दिया जा सकेगा।
4. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है।
5. निर्मित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर वित्तीय वर्ष, योजना का नाम, लाभुक का नाम एवं पता अंकित किया जाना अनिवार्य है।
6. **आवेदन की विधिः–**

   A. योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा ऑन–लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि– 30.09.2026 निर्धारित है।

   किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध "अनुदान के लिए आवेदन" मेनू पर क्लिक करेंगें और अनुदान के प्रकार यानि "**पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान**" का चयन करेंगें।

   B. पूर्व के वर्षों में लाभ प्राप्त कर चुके किसान को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

C. किसान के पास कितने पशु हैं प्रपत्र में इसकी विवरणी देनी आवश्यक होगी। पशु नहीं होने की स्थिति में किसान द्वारा गोबर एवं अन्य आवश्यक कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर ही आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

D. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु सिर्फ किसान द्वारा ही आवेदन समर्पित किया जायेगा किसी भी गैर सरकारी संस्था/अन्य संस्था/किसान समूह से वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

E. पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक का पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र ''डिस्प्ले'' किया जायेगा।

F. किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से ऑन–लाईन पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान के लिए ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं।

7. लक्ष्य का निर्धारण–

जिला कृषि पदाधिकारी, जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 82.70%, 16% एवं 1.30% के अनुपात में विखंडन कर सभी प्रखंडों के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगें।

8. आवेदन पत्र की जॉच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया–

किसान द्वारा समर्पित ऑन–लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत् निर्धारित सभी शर्त्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित करेंगें।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है:–

(क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन–लाईन आवेदन एवं शपथ–पत्र **अनुसूची–01** (किसान का हस्ताक्षर सहित) अपलोड करने के उपरांत आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।

(ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगें–

- **अनुसूची–02** (हस्ताक्षर सहित) ऑन–लाईन अपलोड करना।
- कम्पोस्ट निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जाँच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

(ग) कृषि समन्वयक अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगें या फिर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन को अग्रसारित करेंगें। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 05 (पाँच) दिनों के अंदर करते हुए कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगें तथा संबंधित आवेदक को **अनुसूची–03** में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत कर ऑन–लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) आवेदन का अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

8. अनुदान भुगतान की प्रक्रियाः–

(क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(ख) लाभार्थी किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 10 दिनों के अंदर निर्माण पूर्ण करने तथा स्वीकृति पत्र से 50 दिनों के अंदर केचुआ खाद के तैयार होने के साथ, पूर्ण रूप से भरा हुआ **अनुसूची–04** में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची–04 में दावा प्राप्त होने के 03 (तीन) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक **अनुसूची–05** में अनुदान दावे का सत्यापन करते हुए, अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 ऑन–लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी, अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से सत्यापन कराते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 10 दिनों के अन्दर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें तथा भुगतान उपरांत लाभुक की विवरणी DBT Portal पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) अनुदान का दावा स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 10 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं 50 दिनों के अंदर केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ करना अनिवार्य होगा। अनुदान भुगतान हेतु दावा जनवरी, 2027 के अंतिम सप्ताह तक संबंधित कृषि समन्वयक को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2026–27 के मार्च–27 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान दावा मान्य नहीं होगा।

(च) अनुदान भुगतान में गोबर पर व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

9. पदेन कर्तव्य एवं दायित्वः–

I. कृषि समन्वयक –

(क) इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार अपने क्षेत्रों में किसान सलाहकार के सहयोग से करना सुनिश्चित करेंगें एवं अनुसूची–02 में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदक का स्थल जाँच करना।

(ख) ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन को 07 दिनों के अंदर जाँच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(ग) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का दो चरणों का फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा–

(i.) कम्पोस्ट निर्माण स्थल एवं ईट जोड़ाई स्तर के दौरान किसान के साथ Geo-tagged फोटोग्राफ।

(ii.) कम्पोस्ट इकाई पूर्ण होने के उपरांत प्रथम खेप उत्पादन का Geo-tagged फोटोग्राफ किसान के साथ अपलोड करना।

(घ) अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुसूची–04 का सत्यापन अनुसूची–05 में 03 (तीन) दिनों के अंदर करते हुए अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 ऑन–लाईन जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।

(ड.) पंचायत स्तर पर लाभार्थी किसानों का सभी आवश्यक कागजात एवं पंजी संधारण करना।

(च) प्रति इकाई 4–5 किलो केंचुआ की क्रय करने हेतु आपूत्तिकर्ता की सूची लाभुकों को उपलब्ध कराना।

(छ) ऐसे कोई लाभार्थी किसान जिनके द्वारा अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् 05 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन नहीं कर रहे हों, की सूचना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

II. <u>प्रखंड कृषि पदाधिकारी</u> –

(क) प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना।

(ख) प्रखंड स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।

(ग) वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण एवं पूर्णता से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(घ) 25 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(ङ.) प्रखंड क्षेत्र के अन्तर्गत वैसे किसान, जो अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन नहीं कर रहे हों (अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक) तो संबंधित किसान/लाभुक से अनुदान राशि की वसूली करना सुनिश्चित करेंगें। अनुदान राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को सूचना देना।

III. <u>अनुमंडल कृषि पदाधिकारी</u> –

(क) अनुमंडल स्तर पर स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करना।

(ख) अनुमंडल स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।

(ग) अनुमंडल स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।

(घ) नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(ङ.) भुगतान दावे का **अनुसूची–06** में भौतिक सत्यापन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को भुगतान हेतु अनुशंसा करना।

IV. <u>जिला कृषि पदाधिकारी</u> –

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्वीकृति के पश्चात् सभी लाभान्वित किसानों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का प्रशिक्षण परियोजना निदेशक (आत्मा) के सहयोग से कलस्टर में देना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) कलस्टर में लाभान्वितों का चयन करायेंगे ताकि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण में आसानी हो सके।

(ग) किसानों को केंचुआ उपलब्ध कराने हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ताओं की सूची कृषि समन्वयक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(घ) अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर उत्पादन हो इसका जिला स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ समीक्षा करेंगें।

(ङ.) अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें।

(च) वर्मी कम्पोस्ट इकाई का अनुदान भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता में ही अंतरित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नकद अथवा चेक से अंतरित नहीं किया जायेगा।

(छ) प्रत्येक माह के 05 वीं तिथि तक योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस को उपलब्ध कराना।

V. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) –

(क) अपने प्रमंडल अंतर्गत इस कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) अपने अधीनस्थ प्रत्येक जिलों में 10–10 नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का रैण्डम भौतिक सत्यापन करना।

(ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना।

VI. प्रखंड कृषि पदाधिकारी (जैविक) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) Online आवेदन हेतु सभी प्रक्रिया को पूर्ण कराना।

(ख) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्वीकृति के अनुरूप सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक रसायन (नोडल पदाधिकारी) से प्रतिवेदन लेना तथा संधारण करना एवं लक्ष्य के अनुरूप आवेदन कराना।

(ग) DBT Cell से समन्वय स्थापित कर तकनीकी समस्या का समाधान करवाना।

(घ) भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन लक्ष्य के अनुरूप जिला कृषि पदाधिकारी से अपडेट लेना।

(ड.) सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन सहायक निदेशक, (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस को उपलब्ध कराना।

(च) आवेदन की प्रगति की समय–समय पर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

VII. सहायक निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) राज्य स्तरीय बैठक का संचालन एवं जिलावार इकाई का समीक्षा करना।

(ग) वर्मी पीट कार्यक्रम के प्रगति का जिला को कार्य के प्रगति से अवगत कराना।

(घ) आवेदन की प्रगति की समय–समय पर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

(ड.) योजना का कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

VIII. उप निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) राज्य स्तरीय बैठक का संचालन एवं जिलावार इकाई का समीक्षा करना।

(ग) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई कार्यक्रम के प्रगति का जिला को जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त और इसकी प्रगति प्रतिवेदन ससमय प्रेरित कराना।

(घ) क्षेत्र का भ्रमण करना एवं चल रहे कार्य योजना अनुश्रवण करना ।

(ड.) योजना का कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

(च) आवेदन की प्रगति की समय–समय पर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

IX. संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) वर्मी पीट कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) कृषि निदेशक महोदय को भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कराना।

(ग) राज्य स्तरीय मासिक बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करना।

(घ) योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करना।

(ड.) योजना के प्रगति की कृषि निदेशक महोदय को समय–समय पर अवगत कराना।

X. कृषि निदेशक –

इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु समय–सारणी

क्रं0 सं0	संबंधित आवेदक /कर्मी/पदाधिकारी का दायित्व	प्रक्रिया	समय–सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आवेदक/किसान	DBT Portal पर किसान द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन द्वारा आवेदन	30.09.2026 तक	DBT Portal के माध्यम से।
2	कृषि समन्वयक	आवेदन एवं स्थल का सत्यापन तथा अनुशंसा/अस्वीकृति (कारण सहित)	07 दिन	आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर मोबाईल ऐप द्वारा Geo Tagged फोटो एवं प्रपत्र के साथ अपलोड करना। कृषि समन्वयक के द्वारा निर्धारित समय में सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति मे आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्व–अग्रसारित हो जाएगा।
4	जिला कृषि पदाधिकारी	आवेदन की स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत/अस्वीकृत करने पर कारण सहित	05 दिन	आवेदन प्राप्ति के 05 दिन के अंदर वेबसाईट के माध्यम से।
5	आवेदक/किसान	स्वीकृति पत्र मिलने के उपरांत निर्माण कार्य	10 दिन	10 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। निर्माण की सूचना संबंधित कृषि समन्वयक को देना होगा।
6	कृषि समन्वयक	निर्माण के फोटोग्राफ को अपलोड करना (Geo Tagged फोटो सहित)	निर्माण करते समय	किसान से सूचना प्राप्त होने तथा स्वयं निरीक्षण करने के समय।
7	आवेदक/किसान	निर्माण के उपरांत केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ।	40 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 50 दिनों के अंदर केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ।
8	आवेदक/किसान	अनुदान दावा	01 दिन	केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ। अनुसूची–04 के अनुसार।
9	कृषि समन्वयक	सत्यापन एवं आवेदन का अग्रसारण	03 दिन	अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 के साथ App के माध्यम से अपलोड करना।
10	जिला कृषि पदाधिकारी	सत्यापनोपरांत अनुदान का भुगतान एवं लाभुक की विवरणी ऑन–लाईन अपलोड करना।	10 दिन	अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने उपरांत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से अनुसूची–06 में सत्यापनोपरांत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

ऑन–लाईन

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

1. किसान का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. किसान का पूर्ण पता :
   ग्राम .... पोस्ट .... प्रखण्ड ....
   थाना .... जिला .... दूरभाष / मो० ....
4. किसान का श्रेणी : (✓ का निशान लगायें।)
   (i) कृषक मजदूर / सीमान्त / लघु / मध्यम / बड़े किसान
   (ii) सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक
   (iii) पुरूष / महिला
5. बैंक खाता सं...बैंक का नाम...IFSC कोड सं. ....
6. मैं .... / .... / .... / ....फसलों की खेती करता हूँ।
7. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की कुल संख्या : ....
8. गोबर के लिए पशुओं की संख्या :.................................
9. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण स्थल का विवरण:–
   जिला–...............................प्रखंड.........................पंचायत ....ग्राम .... थाना सं0..................खाता सं0.................. खेसरा सं0.........................रकबा........................
10. निर्माण स्थल की चौहदी– पूरब .... पश्चिम ....
    उत्तर .... दक्षिण ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही है। मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लेने तथा केचुआ खाद के तैयार होने के साथ अनुदान देय है।

किसान का हस्ताक्षर

अनुसूची–01

वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु किसान का शपथ–पत्र

मैं...पिता..................................ग्राम...........................
पंचायत..........................थाना.................पो॰...........................जिला........................ पिन.... ....शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई से कम से कम 05 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जायेगा।

1. 05 वर्ष से पूर्व वर्मी कम्पोस्ट इकाई से उत्पादन बंद होने की स्थिति में अनुदान राशि की वसूली की जा सकेगी।
2. मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची–02

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन पत्र का स्थल जाँच–पत्र

1. किसान का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. ग्राम...................... पंचायत .... प्रखण्ड .... जिला ....
4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हाँ / नहीं)–
5. स्वयं खेती करते हैं अथवा नही (हाँ / नहीं)–
6. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता–
7. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण स्थल की चौहद्दी–

   उत्तर–................................. दक्षिण–................................
   पूरब–.................................. पश्चिम–..............................
8. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)–
9. गोबर / कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता–
10. स्पष्ट मंतव्य–

(कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर)

नाम–

मो0–

अनुसूची–03

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र

पत्रांक : .... दिनांक : ....

1. किसान का नाम : .... पिता / पति का नाम : ....
.... ग्राम .... पंचायत......................... प्रखण्ड....................... जिला...........................
आपके द्वारा पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई संबंधी समर्पित आवेदन पत्र जांचोपरांत सही पाया गया है।
2. आपको पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की .... इकाई की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. वर्मी कम्पोस्ट इकाई का आकार–

   (क) योजना प्रावधान के अनुसार पक्का वर्मी बेड 10 फीट लम्बा, 3 फीट चौड़ा एवं 2.5 फीट गहरा, जिसकी धारक क्षमता 75 घनफीट होना चाहिए। दीवार की मोटाई कम से कम 5" होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर से ढ़ंका होना चाहिए एवं फर्श ईंट का बना हो।
4. वर्मी कम्पोस्ट इकाई में केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ अनुदान देय होगा।
5. स्वीकृति पत्र में वर्णित मानक के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त अनुदान दावा समर्पित किया जाय। अनुदान दावे के साथ निर्माण की गई इकाई का लाभार्थी के साथ फोटोग्राफ समर्पित किया जाय, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट परिलक्षित हो।
6. अनुदान दावे का स्थलीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के कुल लागत मूल्य का अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु॰ प्रति इकाई, दोनों में से जो कम हो, का भुगतान आपके बैंक खाता अंतरण के माध्यम से किया जायेगा।
8. लाभार्थी द्वारा अनुदान भुगतान हेतु संबंधित दावा अंतिम रूप से जनवरी, 2027 तक संबंधित कृषि समन्वयक को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. अनुदान का दावा स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 10 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 50 दिनों के अंदर केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ करना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के मार्च–27 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जायेगा।

तिथि : ....

जिला कृषि पदाधिकारी का
हस्ताक्षर मुहर सहित

अनुसूची–04

अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र

1. किसान का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. ग्राम.............................. पंचायत........................प्रखण्ड.....................जिला........................
4. खाता धारक का नाम ....बैंक खाता सं॰...बैंक का नाम............................IFSC कोड सं॰ ....(पासबुक / Cancelled चेक की छाया प्रति संलग्न)।
5. विभागीय स्वीकृति पत्र सं० .... दिनांक ....
6. मेरे द्वारा निर्मित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रं0 सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घन फीट में) (लं०xचौ०xग०)
1				
2				
3				

7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरुप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है–
   a. लाभार्थी के साथ इकाई का फोटोग्राफ जिसमें वर्मी पीट इकाई पर योजना का नाम, वित्तीय वर्ष, लाभार्थी का नाम एवं पता अंकित हो।

मुझे.......................................बैंक,..शाखा के मेरे खाता संख्या–.... .... IFSC कोड सं॰ ....में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

तिथि– किसान का नाम एवं हस्ताक्षर

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची–05

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. ग्राम.......................... पंचायत.......................... प्रखण्ड...................... जिला........................
4. निर्मित इकाई का ब्योरा :
   (a) कुल स्वीकृत पीट की संख्या–
   (b) कुल निर्मित पीट की संख्या–

क्रं0 सं0	लम्बाई (फीट में)	चौड़ाई (फीट में)	गहराई (फीट में)
1			
2			
3			

5. छप्पर की उपलब्धता– हाँ / नहीं
6. पीट में गोबर / कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता – हाँ / नहीं
7. पीट मे केंचुआ की उपलब्धता – हाँ / नहीं
8. किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है / प्रक्रिया में है – हाँ / नहीं
9. इकाई का Geo-Tagged फोटोग्राफ लाभान्वित किसान के साथ–
10. भुगतान हेतु स्पष्ट मंतव्य–

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

नाम–

<u>अनुसूची–06</u>

<u>पक्का वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के अनुदान दावा के भुगतान हेतु जाँच प्रतिवेदन</u>

1. निरीक्षण की तिथि :–..स्थान:–...

2. किसान / लाभुक का नाम एवं पता:–...
....

3. पिता / पति का नाम:–...

4. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक :–..

5. वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थल का विवरणी:– ग्राम..................पंचायत.................... प्रखंड...........................
.जिला..................................

6. पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्मित इकाई की कुल संख्या :–

7. पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्मित इकाई का पूर्ण ब्योरा–

(i.) निर्मित पीट का विवरण:–

क्रं0 सं0	पीट का आकार (लं0X चौ0Xग0–10'X3'X2.5'–75 घनफुट)
1.	
2.	
3.	

(ii.) निर्मित पीट वर्षारोधी छप्पर से ढ़का हुआ है– हाँ ☐ नहीं ☐ (कृपया ✓करें)

8. गोबर के लिए पशुओं की संख्या (यदि हो तो)–

9. केंचुआ खाद का उत्पादन किया जा रहा है / प्रक्रिया में है:– हाँ ☐ नहीं ☐ (✓करें)

10. निरीक्षण पदाधिकारी का मंतव्य (अनुदान भुगतान के संबंध में) –

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई

1. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना के लिए FPO/FPC/FIG/किसान /किसान समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
2. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु FPO/FPC/FIG/ किसान/ किसान समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK प्रतिवर्ष 1000, 2000, एवं 3000 मे0 टन क्षमता वाले इकाईयों का कुल लागत मूल्य क्रमशः 16.00 लाख रू0, 32.00 लाख रू0 एवं 50.00 लाख रू0 के लिए 40 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतम क्रमशः 6.40 लाख रू0, 12.80 लाख रू0 एवं 20.00 लाख रू0, दोनों में से जो कम हो अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
3. उद्यमी द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए 100 रू0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। परियोजना कार्य अधूरा छोड़ने एवं गलत तरीके से अनुदान का लाभ लेने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा अनुदान राशि एक मुश्त वसूल की जाएगी।
4. आवेदक/कम्पनी/पार्टनरशीप द्वारा यदि जमीन लीज पर ली गई हो तो जमीन का आवेदक/कम्पनी/पार्टनरशीप के नाम पर कम–से–कम 10 वर्षों का रजिस्टर्ड लीज होना अनिवार्य होगा।
5. **आवेदन की विधिः–**

   (क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑन–लाईन आवेदन करना होगा।

   (ख) इस योजना का लाभ, वैसे FPO /FPC /FIG/ किसान/किसान समूह/उद्यमी/ स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK, जो पूर्व में ले चुके है, इसके हकदार नहीं होगें।

   (ग) सभी वांछित कागजातों के साथ पूर्णरूपेण भरे गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

   (घ) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए इच्छुक लाभार्थी/उद्यमी ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम तिथि–30.09.2026 तक ऑन–लाईन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे।

   आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करेगें:–

   i. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव।

   ii. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के स्थल हेतु आवेदक का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद होना अनिवार्य है।

iii. यदि आवेदक/कम्पनी/पार्टनरशीप द्वारा जमीन लीज पर ली गई हो तो जमीन का आवेदक/कम्पनी/पार्टनरशीप के नाम पर कम–से–कम 10 वर्षों का रजिस्टर्ड लीज होना अनिवार्य होगा।

iv. 1000, 2000, एवं 3000 मे0 टन क्षमता में आवेदन हेतु क्रमशः कम से कम 35 डिसमिल, 70 डिसमिल एवं 100 डिसमिल जमीन एक प्लॉट में होना अनिवार्य है।

v. बैंक द्वारा ऋण देने का सहमति पत्र या बिना बैंक ऋण का परियोजना कार्य अपने व्यय पर पूरा करने की स्थिति में आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित 100 रू0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर **(निर्धारित प्रपत्र–01 में)** शपथ पत्र।

vi. परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच।

vii. आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।

viii. यदि आवेदक कम्पनी या पार्टनरशिप हो तो कम्पनी/पार्टनरशिप का भी पैन कार्ड।

ix. अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र Article of Association (AoA) तथा मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन (MOA) एवं की प्रति।

x. FPO/FPC/FIG/किसान/किसान समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन करने के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित 100 रू0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र **(निर्धारित प्रपत्र–02 में)**।

6. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>:–

योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 82.70%, 16% एवं 1.30% के अनुपात में विखंडन कर भौतिक लक्ष्य का निर्धारण होगा। वित्तीय सीमा के अंदर भौतिक लक्ष्य में वृद्धि हो सकती है।

7. <u>आवेदन पत्र की जाँच एवं परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :–

(क) आवेदक का आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त सभी कागजातों की जाँच कृषि निदेशालय द्वारा की जाएगी।

(ख) सभी कागजात पूर्ण एवं सही पाये जाने पर आवेदक के परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति 05 दिन के अंदर **निर्धारित प्रपत्र–03** में कृषि निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ग) इससे सम्बंधित सभी कागजातों का संधारण कृषि निदेशालय अन्तर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन द्वारा किया जाएगा।

8. <u>वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जाँच</u>:– कम्पनी द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता जाँच हेतु लॉटवार/नमूना सम्बंधित जिला/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी द्वारा संग्रह किया जाएगा तथा इसे विश्लेषण हेतु सक्षम अधिकृत गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। कम्पनी/प्रतिष्ठान द्वारा लॉटवार नमूना की गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था स्वयं भी करनी पड़ेगी। वर्मी कम्पोस्ट के नमूना मानक पाये जाने की स्थिति में ही उद्यमी द्वारा उस लॉट का उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अमानक वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित नहीं किया जायेगा।

9. <u>वर्मी कम्पोस्ट विपणन हेतु अनुज्ञप्ति</u>:–गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से नमूना का विश्लेषण प्रतिवेदन मानक प्राप्त होने पर सम्बंधित आवेदक द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विपणन अनुज्ञप्ति के

लिए ऑनलाईन आवेदन **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जाना है:–

(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित 01 फोटो।

(ख) **पंजीयन शुल्क**:–रू0 2250 रू0 का कोषागार चालान विपत्र कोड– R-0401008000001 में जमा करने की मूलप्रति।

(ग) **विहित प्रपत्र–04** में शपथ पत्र।

(घ) पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(ड.) आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(च) आवेदक के नाम पर अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/ आवेदक के नाम पर किराया का एकरारनामा की प्रति नोटरी द्वारा सत्यापित (कम से कम 05 वर्ष के लिए 1000 स्टाम्प पेपर पर)।

(छ) गुण नियंत्रण सक्षम प्रयोगशाला द्वारा निर्गत अद्यतन नमूना का विश्लेषण प्रतिवेदन की प्रति।

(ज) FCO की धारा 24 के तहत नियुक्ति पत्र।

(झ) श्रोत 'O' की प्रति।

(ञ) अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति।

(ट) Authorizaton Letter

(ठ) चरित्र प्रमाण पत्र।

(ड) GST प्रमाण पत्र।

(ढ़) माप तौल विभाग से बटखरों का पंजीकरण/सत्यापन अद्यतन प्रमाणपत्र की छाया प्रति।

(ण) अन्य आवश्यक वांछित कागजात की प्रति।

आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त वांछित कागजात पूर्ण एवं सही पाये जाने एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से विनिर्माण एवं गोदाम स्थल का ऑन–लाईन सत्यापन एवं अनुशंसा के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इन्हें वर्मी कम्पोस्ट विपणन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके बाद ही उद्यमी वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री कर सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट के विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु ऑन–लाईन आवेदन **www.dbtagriculture.bihar.gov.in** समर्पित किया जायेगा। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से विनिर्माण एवं गोदाम स्थल का ऑन–लाईन सत्यापन एवं अनुशंसा कराने के उपरांत तथा उद्यमी द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का मानक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण किया जा सकेगा।

10. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–

(क) स्वीकृति पत्र में अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(ख) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु FPO/FPC/FIG/किसान/किसान समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत या अनुदान दी जाने वाली अधिकतम राशि, दोनों में से जो कम हो, देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान पूर्व की भाँति तीन किस्तों में देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि 50:25:25 प्रतिशत के अनुपात में देय होगा। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना के आधारभूत संरचना यथा–सिविल वर्क्स, प्लांट पूर्ण होने तथा मशीनरी के संस्थापन के पश्चात् 50 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी। द्वितीय किस्त का भुगतान कुल उत्पादन क्षमता का कम–से–कम 50 प्रतिशत उत्पादन पूर्ण होने के

पश्चात् 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी। तृतीय किस्त का भुगतान पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादन होने पर शेष 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी।

क्रं सं.	लाभुकों की श्रेणी	परियोजना का लागत मूल्य (लाख रू0 में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान दी जाने वाली अधिकतम राशि (लाख रू0 में)	क्षमता (मे0ट0)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							प्रति इकाई अनुदान दी जाने वाली राशि (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य प्रति इकाई/अनुदान के उपरांत दी जाने वाली कुल राशि का 50:25:25 प्रतिशत (लाख में)
1	FPO / FPC / FIG / किसान / किसान समूह / उद्यमी / स्टार्ट–अप / गैर सरकारी संगठन / KVK	16.00	40%	6.40	1000	0	0	0
		32.00		12.80	2000	0	0	0.00
		50.00		20.00	3000	20	20	400.00
	कुल–					**20**		**400.00**

(ग) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के अनुदान भुगतान कृषि निदेशक, बिहार, पटना को विहित **प्रपत्र–06** में आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा तथा आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करेंगें :–

I. भंडार पंजी :–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी) भंडार पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

II. बिक्री पंजी :–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी) **प्रपत्र–07** में संधारित बिक्री पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगें।

III. लॉट वार उत्पादित, बिक्री की गई एवं अवशेष मात्रा सम्बंधी प्रतिवेदन **(विहित प्रपत्र–8 में)**

IV. उत्पादक द्वारा निर्गत स्रोत "ओ" प्रमाण पत्र, नियुक्त डीलर तथा बिक्री की मात्रा सम्बंधी प्रतिवेदन **(विहित प्रपत्र–09)** प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें।

V. गुणवता जाँच हेतु लॉटवार जिला/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी द्वारा लिए गए नमूना का अद्यतन कम से कम पाँच मानक नमूने का विश्लेषण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र **'J'** की छायाप्रति।

VI. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं विमुक्ति सम्बंधी प्रतिवेदन (बैंक ऋण स्टेटमेंट के साथ) जिन्होंने बैंक से ऋण लिया हो।

VII. रोकड़पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति के साथ संधारित रोकड़पुस्त की प्रति। (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी)

VIII. आयकर रिटर्न की अद्यतन प्रति।

IX. माप तौल विभाग से बटखरों का पंजीकरण/सत्यापन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

X. परियोजना के सिविल संरचना का उद्यमी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ।

XI. सभी संलग्न अभिलेख आवेदक द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।

(घ) प्रथम किस्त अनुदान राशि का भुगतान संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के द्वारा 07 दिनों के अंदर जाँच करते हुए संयुक्त जाँच प्रतिवेदन **(निर्धारित प्रपत्र–10–क में)** अनुशंसा सहित प्राप्त होने के उपरांत 15 दिनों के अंदर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

(ड.) द्वितीय एवं तृतीय किस्त अनुदान राशि का भुगतान संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा 07 दिनों के अंदर जाँच करते हुए संयुक्त

जाँच प्रतिवेदन **(निर्धारित प्रपत्र–10–ख में)** अनुशंसा सहित प्राप्त होने के उपरांत 15 दिनों के अंदर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

(च) प्रतिष्ठान व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का पूर्ण निर्माण एवं उत्पादन कर तीनों किस्तों का आवेदन इसी वित्तीय वर्ष 2026–27 के मार्च, 2027 के द्वितीय सप्ताह तक करेगें। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान राशि भुगतान के आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा इसके लिए उद्यमी स्वयं जिम्मेवार होंगें।

11. आवेदक / उद्यमी का दायित्वः–

(क) उद्यमी को प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, विपणन एवं अवशेष से सम्बंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र–8 में) कृषि निदेशक, बिहार, पटना एवं सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ख) उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में उल्लेखित सभी धाराओं का पालन करते हुए वांछित कागजातों का संधारण करना होगा।

(ग) उद्यमी को सभी आवश्यक उपकरण रखना अनिवार्य होगा।

(घ) उद्यमी द्वारा कार्यान्वियन अनुदेश में अंकित सभी शर्तों का पालन करने पर ही अनुदान देय होगा।

(ड.) वर्मी कम्पोस्ट का विपणन थोक उर्वरक बिक्रेताओं को ही करना होगा।

(च) वर्मी कम्पोस्ट सुखाने हेतु ओपेन शेड एवं गोदाम सही रूप में रखना अनिवार्य होगा।

(छ) बोरा पर स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का लॉट सं0, पोषक तत्व की मात्रा, कुल मूल्य आदि लिखना अनिवार्य होगा।

(ज) प्रत्येक लॉट का गुणवत्ता सम्बंधी विश्लेषण प्रतिवेदन प्रयोगशाला द्वारा मानक प्राप्त होने के पश्चात ही विपणन करेंगे।

(झ) किसी भी परिस्थिति में अमानक वर्मी कम्पोस्ट बिक्री नहीं करेंगे। अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे।

12. पदेन कर्तव्य एवं दायित्वः–

I. उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का दायित्वः–

(क) स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगें।

(ख) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट पीट इकाई निर्माण गुणवतापूर्ण हो।

(ग) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र–10 (क) में निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगें।

II. जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्वः–

(क) स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगें।

(ख) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र–10 (क) एवं प्रपत्र–10 (ख) में निरीक्षण प्रतिवेदन में उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगें।

III. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्वः–

(क) प्रमंडल स्तर पर स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगें।

(ख) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र–10 (ख) में निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगें।

IV. प्रखंड कृषि पदाधिकारी (जैविक) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) Online आवेदन हेतु सभी प्रक्रिया को पूर्ण कराना।

(ख) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई स्वीकृति के अनुरूप सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक रसायन (नोडल पदाधिकारी) से प्रतिवेदन लेना तथा संधारण करना।

(ग) सही समय पर अनुदान राशि का भुगतान करवाना, जिससे की किसान को किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े।

(घ) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के चयनित किसानों से बात कर उनकों सही संचालन करने का कार्य विधि से अवगत कराना।

(ड.) योजना की प्रगति की समय–समय पर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

V. सहायक निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) राज्य स्तरीय बैठक का संचालन एवं जिलावार इकाई का समीक्षा करना।

(ग) योजना की प्रगति का जिला के कार्य का प्रगति से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

(घ) योजना का कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

VI. उप निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) राज्य स्तरीय बैठक का संचालन एवं जिलावार इकाई का समीक्षा करना।

(ग) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम के प्रगति का जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त कर इसकी प्रगति से ससमय अवगत कराना।

(घ) क्षेत्र का भ्रमण करना एवं चल रहे कार्य योजना अनुश्रवण करना ।

(ड.) योजना का कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

(च) भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय भुगतान का समीक्षा करना।

(छ) योजना की प्रगति की समय–समय पर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

VII. संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस –

(क) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) कृषि निदेशक महोदय को भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कराना।

(ग) राज्य स्तरीय मासिक बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करना।

(घ) योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करना।

(ड.) योजना के प्रगति की कृषि निदेशक महोदय को समय–समय पर अवगत कराना।

IV. कृषि निदेशक का दायित्व–

इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु समय–सारणी

क्र0 सं0	संबंधित आवेदक /कर्मी/पदाधिकारी का दायित्व	प्रक्रिया	समय–सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आवेदक	DBT Portal पर ऑन–लाईन आवेदन	30.09.2026 तक	
2	बिहार राज्य जैविक मिशन	आवेदन का मूल्यांकन/जाँच आवेदन सही होने पर संचिका स्वीकृति हेतु कृषि निदेशक महोदय को उपस्थापित की जायेगी।	05 कार्य दिवस	कागजात में त्रुटि होने पर आवेदक से 03 दिनों के अंदर संबंधित कागजात उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया जायेगा। कागजात अनुपलब्ध होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3	कृषि निदेशक	स्वीकृति पत्र निर्गत।	03 कार्य दिवस	
4	आवेदक	कार्य प्रारंभ करने की सूचना	10 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत होने के उपरांत 10 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से कृषि निदेशक कोषांग में/ई–मेल diragri.bihar@gmail.com पर देना होगा।
5	आवेदक	आधारभूत संरचना का निर्माण।	30 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत होने से सिविल वर्क्स पूर्ण करने तथा मशीनरी का संस्थापन।
6	आवेदक	प्रथम किस्त अनुदान की माँग।	03 दिन	आधारभूत संरचना पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में कृषि निदेशक कोषांग में/ई–मेल diragri.bihar@gmail.com के माध्यम से अनुदान हेतु प्रपत्र–07 में आवेदन समर्पित करना।
7	बिहार राज्य जैविक मिशन	उत्पादन स्थल की जाँच हेतु पत्र निर्गत करना।	03 कार्य दिवस	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को संयुक्त जाँच हेतु पत्र निर्गत करना।
8	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण)	उत्पादन स्थल का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना।	07 कार्य दिवस	कृषि निदेशक, बिहार को 07 कार्य दिवस के अंदर जाँच प्रतिवेदन (अनुशंसा सहित) प्रपत्र–10 (क) मूल प्रति में एवं प्रपत्र के अनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध कराना।
9	बिहार राज्य जैविक मिशन	जाँच प्रतिवेदन में अनुशंसा उपरांत प्रथम किस्त का भुगतान।	15 कार्य दिवस	संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में अनुदान भुगतान अनुशंसा सहित एवं सभी आवश्यक कागजात पूर्ण होने पर कृषि निदेशक, बिहार द्वारा अनुदान भुगतान DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जायेगा।
10	आवेदक	द्वितीय किस्त अनुदान की माँग	30 दिन	कुल उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में कृषि निदेशक कोषांग में/ई–मेल diragri.bihar@gmail.com के माध्यम से अनुदान हेतु प्रपत्र–07 में आवेदन समर्पित करना।
11	बिहार राज्य जैविक मिशन	उत्पादन स्थल की जाँच हेतु पत्र निर्गत करना।	05 कार्य दिवस	कृषि निदेशक कोषांग से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को संयुक्त जाँच हेतु पत्र निर्गत।
12	संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी	उत्पादन स्थल का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना।	07 कार्य दिवस	कृषि निदेशक महोदय को 07 कार्य दिवस के अंदर जाँच प्रतिवेदन (अनुशंसा सहित) प्रपत्र–11 (ख) की मूल प्रति एवं प्रपत्र के अनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध कराना।
13	बिहार राज्य जैविक मिशन	जाँच प्रतिवेदन में अनुशंसा उपरांत द्वितीय किस्त का भुगतान।	15 कार्य दिवस	संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में अनुदान भुगतान अनुशंसा सहित एवं सभी आवश्यक कागजात पूर्ण होने पर कृषि निदेशक महोदय द्वारा अनुदान भुगतान DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जायेगा।
14	आवेदक	तृतीय किस्त अनुदान की माँग	30 दिन	कुल उत्पादन क्षमता पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में कृषि निदेशक कोषांग में/ई–मेल diragri.bihar@gmail.com के माध्यम से अनुदान हेतु प्रपत्र–07 में आवेदन समर्पित करना।
15	बिहार राज्य जैविक मिशन	उत्पादन स्थल की जाँच हेतु पत्र निर्गत करना।	05 कार्य दिवस	कृषि निदेशक कोषांग से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को संयुक्त जाँच हेतु पत्र निर्गत।
16	संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी	उत्पादन स्थल का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना।	07 कार्य दिवस	कृषि निदेशक महोदय को 07 कार्य दिवस के अंदर जाँच प्रतिवेदन (अनुशंसा सहित) प्रपत्र–11 (ख) की मूल प्रति एवं प्रपत्र के अनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध कराना।
17	बिहार राज्य जैविक मिशन	जाँच प्रतिवेदन में अनुशंसा उपरांत तृतीय किस्त का भुगतान।	15 कार्य दिवस	संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में अनुदान भुगतान अनुशंसा सहित एवं सभी आवश्यक कागजात पूर्ण होने पर कृषि निदेशक महोदय द्वारा अनुदान भुगतान DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जायेगा।

(ऑन–लाईन)

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का स्व–अभिप्रमाणित फोटो

आवेदन का क्रमांक............ वित्तीय वर्षः–.......................

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :–...

....

2. प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता का नाम एवं पता :
श्री / श्रीमती / सुश्री...पिता / पति.......................................

ग्राम.........................पंचायत ....पोस्ट.........................थाना...............................

जिला................................प्रखण्ड..राज्य.....................................

3. आवेदक की श्रेणी–(अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / सामान्य)
4. आवेदक का प्रकार (अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(Individual/co-operative/Proprietary firm/Companies/farmer Interest Group/NGO/SHG) :–
5. दूरभाष / मोबाइल संख्या :–
6. ई–मेल :–
7. उत्पादन इकाई के लिए प्रस्तावित स्थल का विवरण :–

जिला ....,प्रखंड...................., ग्राम.., खेसरा सं0.......................

...............,खाता सं0....................................रकबा (एकड़ में)........................(आवेदक के नाम पर अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भू–धारिता प्रमाण पत्र, अद्यतन लगान रसीद एवं वंशावली संलग्न किया जाय)

8. चौहद्दी–उत्तर...दक्षिण...............................

पूरब..पश्चिम..............................

9. आवेदक का पूर्व का अनुभव :–
10. प्रस्तावित प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता (मे0 टन में):–
11. अनुमानित लागत मूल्य (क) उद्यमी का अंश ....(ख) बैंक ऋण........................कुल.... ....लाख रू0।
12. परियोजना के सम्बंध में संक्षिप्त विवरण यथा तकनीकी / उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले Raw materials/Equipments एवं होने वाले लाभ के सम्बंध में संक्षिप्त विवरण। (परियोजना प्रस्ताव की प्रति संलग्न किया जाय)

13. कच्चे पदार्थ एवं उपलब्ध संसाधनः–

उपलब्ध पशुओं की संख्या–

बड़ा–

छोटा–

गोबर की उपलब्धता–

कृषि अपशिष्ट की उपलब्धता–

अन्य पदार्थ की उपलब्धता–

14. किसी अन्य योजना से सहायता के लिए प्रस्ताव किया गया हो तो इस सम्बंध में विवरण दिया जाय।

15. परियोजना बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है तो बैंक का अप्रेजल रिपोर्ट एवं सिद्धांततः सहमति से सम्बंधित प्रमाण ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र बिना सूचना के कभी भी रद्द किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः–

तिथिः–

प्रपत्र–01

बिना बैंक ऋण के परियोजना पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र

मैं ....पिता / पति...ग्राम. ....पोस्ट..............................पंचायत.................................थाना..................................प्रखंड... ....जिला..............................राज्य....................का रहने वाला / वाली हूँ। मैं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना करना चाहता / चाहती हूँ। इसके लिए मैं सत्य एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित बातों का शपथ लेता / लेती हूँ :–

1. यह कि मैं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत सभी निदेशों का पूर्णतः पालन करूँगा / करूँगी।
2. यह कि मैं बिना बैंक ऋण का ही प्रस्तावित परियोजना का कार्य ससमय पूरा करूँगा / करूँगी।
3. यह कि मैंनें प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए राशि की व्यवस्था कर ली है।
4. यह कि परियोजना की स्थापना का कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने पर मैं अनुदान का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
5. यह कि व्यवस्था की गई राशि का विवरण मैं अपने आयकर रिटर्न में अंकित करूँगा / करूँगी।
6. यह कि परियोजना अपूर्ण होने की स्थिति के लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार हुंगा / हुंगी तथा भविष्य में पूर्ण कराने हेतु बैंक ऋण लेने की अनुमति नहीं माँगूगा / माँगूगी।

उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार को मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

शपथकर्त्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र–02

10 वर्षो तक लगातार व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु शपथ पत्र

मैं ....पिता / पति..ग्राम.... ....,पोस्ट.................., ग्राम पंचायत................................थाना..........................प्रखंड.............. ....जिला.................................राज्य............................ का रहने वाला / वाली हूँ। मैं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पाद इकाई की स्थापना करना चाहता / चाहती हूँ। इसके लिए मैं सत्य निष्ठापूर्वक निम्न बातों का शपथ लेता / लेती हूँ

1. यह कि मैं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना कर उत्पादन करूँगा / करूँगी।
2. यह कि मैं अनुदान राशि प्राप्त करने के बाद लगातार 10 वर्षो तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कार्य चालू रखूँगा / रखूँगी।
3. यह कि 10 वर्षो तक परियोजना में पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कार्य चालू नहीं रखने की स्थिति में सरकार को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा प्राप्त की गई अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त वसूल कर लें।
4. यह कि मार्च–2027 के प्रथम सप्ताह के पूर्व तक ही अनुदान हेतु अंतिम दावा प्रस्तुत करूँगा / करूँगी, विलंब की स्थिति में मैं अनुदान भुगतान का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
5. यह कि व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा नहीं लिया गया है।
6. यह कि किसी भी अनियमितता हेतु सरकार मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकती है।
7. मेरे द्वारा समर्पित कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना को मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा प्राप्त की गई अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।

शपथकर्त्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र–03

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक– /कृ०, पटना दिनांक ..../...../

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

....

विषय :– व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट ....मे॰ट॰ की उत्पादन इकाई निर्माण की स्वीकृति–पत्र।

आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव में वर्णित तकनीकी/उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले जमीन (भूमि)/पीट का आकार एवं संख्या/Raw Material/Equipment एवं होने वाले लाभ की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पीट विधि से प्रति वर्ष –––––मे0 टन क्षमता के व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के लिए आपके परियोजना प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन दी जाती है:–

1. स्वीकृति पत्र निर्गत की तिथि से 10 (दस) दिनों के समय सीमा के अंदर परियोजना कार्य प्रारंभ करने की सूचना कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बिहार राज्य जैविक मिशन, बिहार, पटना एवं अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को देना अनिवार्य है, अन्यथा स्वीकृति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
2. गुणवत्तायुक्त कार्बनिक उर्वरक (वर्मी कम्पोस्ट) उत्पाद के लिए गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था उद्यमी को स्वयं करनी होगी।
3. परियोजना निर्माण का कार्य पूर्ण होने, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन होने तथा बिक्री हेतु विपणन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री अपने सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त उर्वरक बिक्रेताओं के माध्यम से करेंगे।
4. उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में वर्णित शर्त्तो एवं समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में निर्धारित प्रपत्र N में भंडार पंजी का संधारण तथा प्रपत्र M में बिक्री के नकद विपत्र जारी करेंगे। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में बिक्री पंजी एवं स्त्रोत ओ0 प्रमाण पत्र पंजी का संधारण करना होगा।
6. प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उत्पादन/विक्रय का प्रतिवेदन कृषि निदेशक/ संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बिहार राज्य जैविक मिशन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना एवं अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।

7. उपरोक्त वर्णित शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपके वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण की स्वीकृति को रद्द कर दिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का अनुदान भुगतान का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. अनुदान भुगतानः– आवेदक से अनुदान दावा प्राप्त होने पर तथा कृषि निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत किये गये परियोजना के अनुरूप इकाई निर्माण पूर्ण करने पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत या अनुदान दी जाने वाली अधिकतम राशि, दोनों में से जो कम हो, देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान तीन किस्तों में देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि 50:25:25 प्रतिशत के अनुपात में देय होगा। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना के आधारभूत संरचना यथा–सिविल वर्क्स, प्लांट एवं मशीनरी के पूर्ण होने पर भुगतेय की जायेगी। द्वितीय किस्त का भुगतान कुल उत्पादन क्षमता का कम–से–कम 50 प्रतिशत उत्पादन पूर्ण होने के पश्चात् 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतेय की जायेगी। तृतीय किस्त का भुगतान पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादन होने पर शेष 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतेय की जायेगी।

9. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण एवं उत्पादन पूर्ण कर तीनों किस्तों का आवेदन इसी वित्तीय वर्ष 2026–27 के मार्च, 2027 के द्वितीय सप्ताह तक करेगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान राशि भुगतान के आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा इसके लिए उद्यमी स्वयं जिम्मेवार होंगें।

10. गलत प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान पाने एवं राशि का दुरुपयोग की जानकारी कभी भी प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि एक मुश्त वापस ले ली जायेगी तथा आपके विरूद्ध सुसंगत धारा के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

11. परियोजना में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना अनिवार्य होगा।

12. FPO /FPC / FIG / किसान/समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK को अनुदान भुगतान हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की अर्हताएँ का शत–प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–................/ कृ० पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), .../जिला कृषि पदाधिकारी,......... ..../प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), ... /बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रपत्र–04

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट विपणन अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु प्राधिकार पत्र के लिए शपथ–पत्र

मैं ....पिता/पति.................................ग्राम.................. पोस्ट...

........................ग्राम पंचायत...........................थाना...........................प्रखंड.......................जिला................

..राज्य.................... का रहने वाला/वाली हूँ। मैं कार्बनिक के विपणन हेतु प्राधिकार पत्र के लिए सत्य एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित बातों का शपथ लेता/लेती हूँ:–

1. यह कि मेरा विपणन व्यापार स्थल निम्न प्रकार से होगा :–

   जिला.......................... प्रखंड.................... ग्राम.........................खेसरा सं0..........................खाता संख्या.. रकबा.......................

   चौहद्दी– उत्तर.............................. दक्षिण...............................

   पूरब............................... पश्चिम...................................

2. यह कि विगत 3 वर्षों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत दण्डित नहीं हुआ/हुई हूँ।
3. यह कि नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुआ है।
4. यह कि पूर्व का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित नहीं है।
5. यह कि गुणवत्ता पूर्ण मानक कार्बनिक/जैव उर्वरक की बिक्री करूँगा/करूँगी।
6. यह कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में उल्लेखित धारा का पालन करते हुए सभी कागजातों एवं पंजियों का संधारण करूँगा/करूँगी।

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं।

शपथकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र–05

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट विपणन अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु जाँच दल का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निरीक्षण की तिथि :–...स्थानः–...
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पताः–...
   ....
3. प्रतिष्ठान अधिष्ठाता का नाम एवं पता :–...
   ....
4. परियोजना स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक :–...
5. विपणन स्थल का विवरणः– ग्राम.................. प्रखंड...........................जिला................प्लॉट संख्या.........
   ....खाता संख्या........................रकबा............................
6. चौहद्दी उत्तर–...दक्षिण–...
   पूरब–...पश्चिम–...
7. विपणन हेतु गोदाम का विवरण :–
   (क) आकार ....
   (ख) फर्श/छत ....
   (ग) दिवाल ....
8. वर्मी कम्पोस्ट सुखाने के लिए ओपेन शेड (आकार सहित):–
9. उपलब्ध उपकरण :–...
   निर्मित आधारभूत संरचना का पूर्ण ब्योरा (व्यय आक्कलन सहित)–
   (iii.) निर्मित पीट/बेड का विवरणः–

क्रं0 सं0	पीट/बेड का आकार (अंदर से) ल0 x चौ0 x ग0	प्रत्येक पीट/बेड का आयतन (घन फीट में)	कुल पीट/बेड की संख्या	प्रत्येक पीट/बेड से उत्पादन (क्विं0 में)	कुल उत्पादन (मे0 टन में)
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

   (iv.) पीट/बेड का फर्श एवं दिवालः–
   (v.) उत्पादन स्थल का छत :–(क) छत का आकारः–(ख) छत की छावनी–
   (vi.) वार्षिक उत्पादन क्षमता (मे0टन में)–
   (vii.) परियोजना में कुल व्यय का विवरण–
10. वर्मी कम्पोस्ट नमूना सं0 एवं तिथि–
11. भंडार पंजी विधिवत संधारित है अथवा नहीं
    (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर)
12. बिक्री पंजी विधिवत संधारित है अथवा नहीं
    (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर)
13. माप–तौल विभाग से बटखरोंका पंजीकरण/अद्यतन सत्यापनप्रमाण पत्र की छायाप्रति।
14. स्त्रोत–'O' प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
15. अद्यतनआयकर रिटर्न की प्रति–
16. स्थल का फोटोग्राफ (उद्यमी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के साथ इकाई का फोटोग्राफ संलग्न करें
17. जाँच पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर :–

प्रपत्र–06

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के लिए अनुदान भुगतान हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट आकार का फोटो

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :–...

....

2. प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता का नाम एवं पता :–...

....

3. आवेदक का दूरभाष / मोबाईल संख्या :–..

4. आवेदक का ई–मेल :–...

5. कुल लागत मूल्य :–............................उद्यमी का अंश....................................बैंक ऋण स्वीकृत राशि......................................कुल विमुक्त राशि..............................कुल.............................
....

नोटः– बैंक स्टेटमेंट संलग्न करें

6. परियोजना के संरचना कार्य एवं उत्पादन का विवरण :–

(i.) निर्मित पीट / बेड एवं उत्पादन का विवरणः–

क्रं0 सं0	प्रत्येक पीट / बेड का आकार (लं0**x**चौ0**x**गहराई)	प्रत्येक पीट / बेड का आयतन (घन फीट में)	कुल पीट / बेड की संख्या	प्रत्येक पीट / बेड से उत्पादन (क्विं0 में)	कुल उत्पादन (मे0 टन में)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
कुल–					

(ii.) पीट / बेड का फर्श एवं दिवालः–

(iii.) उत्पादन स्थल का छत :–

(क) छत का आकार :–

(ख) छत की छावनीः–

7. उपलब्ध गोदाम का विवरण–

(i.) गोदाम का आकारः–

(ii.) गोदाम का फर्श एवं छतः–

(iii.) गोदाम का दिवालः–

(iv.) गोदाम की क्षमता (मे0 टन में)

8. ओपेन शेड (आकार सहित):–
9. उपलब्ध उपकरण का विवरण:–
10. विपणन हेतु अनुज्ञप्ति संख्या एवं तिथि:–
11. रोकड़पुस्त संधारण की स्थिति :–
(रोकड़पुस्त के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)
12. भंडार पंजी प्रपत्र–**N** में संधारित है अथवा नहीं :–
(भंडार पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)
13. बिक्री पंजी विधिवत संधारित है अथवा नहीं :–
(बिक्री पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)
14. बिक्री का नकद विपत्र प्रपत्र–**M** में संधारित है अथवा नहीं :–
(नकद पृष्ठ के अंतिम Volume के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)
15. डीलर नियुक्ति हेतु स्रोत O प्रमाण पत्र पंजी संधारित है अथवा नहीं :–
(स्रोत O के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)
16. आयकर रिटर्न की अद्यतन वर्ष की प्रति:–
17. विपणन हेतु बोरा पर अंकित सूचना का विवरण:–
18. माप तौल विभाग से बटखरा का अद्यतन पंजीयण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
19. रोकड़पुस्त का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं (अद्यतन सत्यापित प्रति संलग्न करें)
20. गुणवत्ता सम्बंधी विवरण (अद्यतन पाँच नमूना का विश्लेषण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र–**'J'**की प्रति संलग्न किया जाए)

नमूना लेने की तिथि	लॉट संख्या	नमूना लेने वाले पदाधिकारी	विश्लेषण प्रतिवेदन (मानक/अमानक)
1	2	3	4

21. अनुदान का किस्त एवं राशि :–

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मैं ली गई अनुदान की राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा। कृषि निदशक, बिहार, पटना मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं।

स्थान :–......................

तिथि :–....................

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–07

बिक्री पंजी का संधारण का प्रपत्र

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पताः–

2. विपणन अनुज्ञप्ति सं0 एवं तिथिः–

3. बिक्री का पूर्ण विवरणः–

क्र0सं0	तिथि	कुल उपलब्ध मात्रा (क्वीं0 में)	बिक्री का विवरण			बिक्री का नकद विपत्र संख्या एवं तिथि	क्रेता का हस्ताक्षर
			थोक उर्वरक विक्रेता का नाम एवं पता	विक्रेता का निबंधन सं0 एवं वर्ष	बिक्री की मात्रा (क्वीं0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रतिष्ठानकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–08

व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, विपणन एवं अवशेष संबंधी प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की तिथि–

इकाई, मात्रा–मे0 टन में

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता–

विपणन अनुज्ञप्ति सं0 एवं निर्गत तिथि–

क्रं॰सं॰	माह एवं वर्ष	पूर्व का अवशेष	उत्पादन		कुल मात्रा	बिक्री		कुल मात्रा	अवशेष
			लॉट सं0	मात्रा		लॉट सं0	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रतिष्ठानकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–09

स्त्रोत ओ प्रमाण पत्र एवं डीलर संबंधी नियुक्ति प्रतिवेदन

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता–

क्रं०सं०	स्त्रोत ओ निर्गत की तिथि	स्त्रोत ओ निर्गत सं0	थोक विक्रेता का नाम एवं पता जिसको निर्गत किया गया	थोक वर्मी कम्पोस्ट विक्रेता का प्राधिकार पत्र सं0 एवं तिथि
1	2	3	4	5

प्रतिष्ठानकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–10 (क)

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के अनुदान भुगतान हेतु जाँच दल का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निरीक्षण की तिथि :– ....
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता:–

मेसर्स ....

ग्राम / मोहल्ला ....पो0 .... थाना ....

प्रखण्ड ....जिला ....।

3. प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता का नाम एवं पूरा पता :–

श्री / सुश्री / श्रीमती..

पिता / पति ....ग्राम ....

पो0 .... थाना .... प्रखण्ड ....

जिला .... मोबाईल / दूरभाष सं0– ....

4. आवेदक की श्रेणी–(सामान्य / अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा / पिछड़ा / अल्पसंख्यक)
5. उत्पादन स्थल का विवरण :–

जिला..............................,प्रखंड..............................., ग्राम..., थाना सं0 ....

प्लॉट सं0......................................., खाता सं0...................................रकबा.....................,.......

6. उत्पादन स्थल की चौहद्दी –

उत्तर .... दक्षिण ....

पूरब .... पश्चिम ....।

7. उत्पादन की विधि :–
8. उत्पादन ईकाई की संरचना निर्माण एवं उत्पादन सम्बंधी विवरण :–

क्रं0	पीट का आकार (अंदर से) ल0 x चौ0 x ग0	प्रत्येक पीट का आयतन (घन फीट में)	कुल पीट की संख्या	प्रत्येक पीट से उत्पादन (क्विं0 में)	कुल उत्पादन (मे0 टन में)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
कुल					

(i.) निर्मित संरचना एवं उत्पादन का विवरण :–

(ii.) पीट का फर्श एवं दिवाल –

(iii.) उत्पादन स्थल के छत का विवरण–

(क) छत की छावनी –

(ख) छत की दिवाल –

9. उत्पादन हेतु गोबर एवं कृषि अपशिष्ट पदार्थ की स्थिति –

10. उपलब्ध गोदाम का विवरण एवं फोटोग्राफ–

(i.) आकार –

(ii.) फर्श एवं छत –

(iii.) दिवाल –

(iv.) क्षमता (मे0 टन में) –

11. सम्पूर्ण इकाई, शेड एवं गोदाम का फोटोग्राफ (उद्यमी एवं जाँच दल पदाधिकारी के साथ GeO Tag फोटोग्राफ एवं विडियों अनिवार्य रूप से संलग्न करें):–

12. वर्मी कम्पोस्ट सुखाने हेतु ओपेन शेड का आकार :–

13. उपलब्ध आवश्यक उपकरण का विवरण एवं फोटोग्राफ :–
(चलना/तौलने का उपकरण/सिलाई मशीन/चाराकल/ मिक्सिंग टुल्स/सुखाने की मशीन/नमी मापक यंत्र/अन्य)

14. परियोजना का अनुमानित लागत मूल्य :–

15. परियोजना का वार्षिक उत्पादन क्षमता :–

16. अनुदान हेतु जाँच दल की स्पष्ट मंतव्य अनुशंसा सहित–
(प्रथम किस्त)

17. जाँच दल के पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर–

प्रपत्र–10 (ख)
व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के अनुदान भुगतान हेतु जाँच दल का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निरीक्षण की तिथि :– ....
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पताः–

मेसर्स ....

ग्राम / मोहल्ला ....पो0 .... थाना ....

प्रखण्ड ....जिला ....।

3. प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता का नाम एवं पूरा पता :–

श्री / सुश्री / श्रीमती...

पिता / पति ....ग्राम ....

पो0 .... थाना .... प्रखण्ड ....

जिला .... मोबाईल / दूरभाष सं0– ....

4. आवेदक की श्रेणी– (सामान्य / अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा / पिछड़ा / अल्पसंख्यक)
5. उत्पादन स्थल का विवरण :–

जिला..............................,प्रखंड.............................., ग्राम.., थाना सं0 ....प्लॉट सं0..., खाता सं0.....................................रकबा.............................

6. उत्पादन स्थल की चौहद्दी –

उत्तर .... दक्षिण ....

पूरब .... पश्चिम ....।

7. उत्पादन की विधि :–
8. उत्पादन ईकाई की संरचना निर्माण एवं उत्पादन सम्बंधी विवरण :–

क्रं0 सं0	पीट का आकार (अंदर से) ल0 x चौ0 x ग0	प्रत्येक पीट का आयतन (घन फीट में)	कुल पीट की संख्या	प्रत्येक पीट से उत्पादन	कुल उत्पादन (मे0 टन में)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
कुल					

(i.) निर्मित संरचना एवं उत्पादन का विवरण :–

(ii.) पीट का फर्श एवं दिवाल –

(iii.) उत्पादन स्थल के छत का विवरण–

(क) छत की छावनी –

(ख) छत की दिवाल –

9. उत्पादन हेतु गोबर एवं कृषि अपशिष्ट पदार्थ की स्थिति –

10. उपलब्ध गोदाम का विवरण एवं फोटोग्राफ–

(i.) आकार –

(ii.) फर्श एवं छत –

(iii.) दिवाल –

(iv.) क्षमता (मे0 टन में) –

11. सम्पूर्ण इकाई, शेड एवं गोदाम का फोटोग्राफ (उद्यमी एवं जाँच दल पदाधिकारी के साथ GeO Tag फोटोग्राफ एवं विडियों अनिवार्य रूप से संलग्न करें):–

12. वर्मी कम्पोस्ट सुखाने हेतु ओपेन शेड का आकार :–

13. उपलब्ध आवश्यक उपकरण का विवरण एवं फोटोग्राफ :–
(चलना/तौलने का उपकरण/सिलाई मशीन/चाराकल/
मिक्सिंग टुल्स/सुखाने की मशीन/नमी मापक यंत्र/अन्य)

14. परियोजना का अनुमानित लागत मूल्य :–

15. परियोजना का वार्षिक उत्पादन क्षमता :–

16. रोकड़पुस्त का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं (अद्यतन सत्यापित प्रति संलग्न करें) –

17. आयकर रिटर्न की प्रति (अद्यतन प्रति संलग्न करें) –

18. भंडार पंजी प्रपत्र–N में संधारित है (हाँ/नहीं) (अद्यतन सत्यापित प्रति संलग्न करें) –

19. माप–तौल विभाग से बटखरों का पंजीकरण/अद्यतन सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

20. गुणवत्ता सम्बंधी विवरण (05 (पाँच) नमूना का विश्लेषण प्रतिवेदन अंकित किया जाए) –

नमूना लेने की तिथि	लॉट संख्या	नमूना लेने वाले पदाधिकारी	विश्लेषण प्रतिवेदन	
			मानक	अमानक
1	2	3	4	5

21. अनुदान हेतु जाँच दल की स्पष्ट मंतव्य अनुशंसा सहित–
(द्वितीय किस्त)

22. जाँच दल के पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर–

गोबर/बायो गैस

I. कार्यक्रम का उद्देश्यः–

बिहार राज्य में गोबर आधारित गोबर/बायोगैस का महत्व अत्यधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में जलावन के लिए गोबर का प्रयोग उपला/गोइठा के रूप में किया जाता है, वहाँ उर्जा हेतु गोबर का सर्वप्रथम उपयोग बायो–गैस के रुप में तथा प्राप्त स्लरी का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट से उर्वरक प्राप्त करने हेतु किया जाए तो यह निश्चित तौर पर उर्जा के साथ–साथ उर्वरक प्राप्त करने का समन्वय स्थापित करता है। गैर परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों में बायो गैस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उत्पादन में घरेलू एवं खेती के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक विशिष्ट संयंत्र में डालकर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बायोगैस उत्पादित किया जाता है। इस विधि से उत्पादित गैस में मूलतः मिथेन, जो एक ज्वलनशील गैस है, प्राप्त होती है और इसका उपयोग आसानी से गृह कार्यों यथा खाना बनाने, रौशनी की व्यवस्था करने तथा इसके अतिरिक्त कृषिपयोगी संयंत्रों के संचालन में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अवशेष के रूप में स्लरी की प्राप्ति होती है, जिससे 25–30 दिन में वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है। दो घनमीटर के बायो–गैस संयंत्र से माह में करीब 1.5 से 2 **LPG** सिलेन्डर के बराबर गैस प्राप्त होता है।

II. गोबर/बायोगैस इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती कर रहे हैं एवं जिनके पास पशुधन है। एक परिवार से एक ही किसान/आवेदक गोबर/बायोगैस इकाई हेतु **अधिकतम 01 इकाई** के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

III. गोबर/बायोगैस इकाई के स्थापना के लिए दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल अपनाया जाता है इसके लिए कम–से–कम 10'X12' निजी जमीन/स्थान उपलब्ध हो।

IV. गोबर/बायोगैस इकाई पर कुल लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 रू0/इकाई दोनों में से जो कम हो, अनुदान राशि देय है एवं 1500 रू0 (टर्न–की राशि), कुल 22,500 रू0 देय है जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

मॉडल	क्षमता	अनुमानित लागत मूल्य (रूपये में)	अनुदान भुगतान प्रति इकाई (रूपये में)
दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल	02 घनमीटर	42,000.00	लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 (दोनों में से जो कम हो) + 1500 (टर्न–की राशि), कुल 22,500.00

V. प्रत्येक गोबर/बायोगैस संयंत्र पर साईन बोर्ड (3'x4') लगाना अनिवार्य है जिसमें निम्नलिखित विवरणी दर्ज की जानी हैः–

कृषि विभाग, बिहार सरकार

योजना का नाम	–	
लाभार्थी का नाम	–	
ग्राम	–	
संयंत्र	–	दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर / बायोगैस इकाई
प्राक्कलन राशि	–	
वित्तीय वर्ष	–	

VI. दीनबन्धु मॉडल गोबर / बायोगैस संयंत्र का नक्शा एवं प्राक्कलन अनुसूची–06 एवं अनुसूची–07 क्रमशः पर संलग्न है।

VII. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से गोबर / बायोगैस का उत्पादन **आगामी 05 वर्षों** तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र अनुसूची–01 में संलग्न है।

VIII. जिन कृषकों को गोबर / बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु विगत वर्षों में किसी भी योजना (जैविक खेती प्रोत्साहन योजना / के0वी0आई0सी0 / एम0एन0आर0ई0 इत्यादि) से लाभ मिल चुका है वैसे किसानों को गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु पुनः अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।

IX. आवेदन की विधिः–

(क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगातथा **ऑन–लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि–** 30.09.2026 **निर्धारित है।**

(ख) इच्छुक किसान ऑन–लाईन आवेदन पत्र देंगे। इच्छुक किसान गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापना करने के लिए ऑन–लाईन विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ स्व–अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र / जमीन का रसीद / जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करेंगे।

(ग) किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध "अनुदान के लिए आवेदन" मेनू पर क्लिक करेंगें और अनुदान के प्रकार यानि "**गोबर / बायोगैस इकाई अनुदान**" का चयन करेंगें।

(घ) किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केन्द्र से ऑन–लाईन गोबर / बायो गैस इकाई अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल / लैपटॉप से गोबर / बायो गैस इकाई अनुदान के लिए ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं।

X. लक्ष्य का निर्धारण–

जिला कृषि पदाधिकारी जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 82.70%, 16% एवं 1.30% के अनुपात में लक्ष्य का विखंडन कर जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगें।

XI. आवेदन पत्र की जॉच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया–

किसान द्वारा समर्पित ऑन–लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत् निर्धारित सभी शर्त्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित की कार्रवाई करेंगें।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है:–

(क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन–लाईन आवेदन एवं शपथ–पत्र **(अनुसूची–01)** अपलोड करने के उपरांत आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।

(ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगें–

- **अनुसूची–02** ऑन–लाईन अपलोड करना।
- गोबर/बायोगैस इकाई निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जाँच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि गोबर/बायोगैस इकाई के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

(ग) कृषि समन्वयक अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगें या फिर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन, जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगें। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 05 (पाँच) दिनों के अंदर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगें तथा संबंधित आवेदक को **अनुसूची–03** में गोबर/बायोगैस इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुए ऑन–लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) आवेदन का अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

XII. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:–

(क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(ख) लाभार्थी किसान द्वारा गोबर/बायो गैस इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 40 दिन के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन होने के उपरान्त **अनुसूची–04** में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची–04 में अनुदान दावा प्राप्त होने के 03 (तीन) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक **अनुसूची–05** में अनुदान दावे का सत्यापन कर, ऑन–लाईन अपलोड करेंगें।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने पर उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से सत्यापन करवाते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर 10 दिनों के अंदर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें तथा भुगतान उपरांत लाभुक की विवरणी DBT Portal पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) अनुदान दावा स्वीकृति पत्र के निर्गत तिथि से 25 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं निर्गत तिथि से 40 दिनों के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन करने के पश्चात् करना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2026–27

के मार्च–27 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान दावा राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(च) गोबर/बायो गैस इकाई का अनुदान भुगतान राशि D.B.T. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभान्वित किसान के खाते में जमा करने का निदेश है, जिसका पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

(छ) किसानों को राजी करने, योजना को प्रचारित करने तथा संयंत्र स्थापना में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए टर्न–की (बायो गैस संयंत्र से निर्धारित मात्रा में गैस निकलने के उपरांत) के आधार पर एन0जी0ओ0 अथवा कम्पनी प्रतिनिधि को अलग से 1500/– रू0 प्रति संयंत्र (टर्न की राशि) प्रोत्साहन राशि किसान से अनुसूची–09 में संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि का भुगतान डी.बी.टी. द्वारा किया जायेगा।

(ज) अनुदान हेतु गोबर पर व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

XIII. संस्था/कम्पनी के चयन की प्रक्रिया एवं शर्त्तें–

(क) पूर्व के सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी में से ईच्छुक संस्था/कम्पनी का निबंधन पत्र, बाईलॉज, कार्य अनुभव का प्रमाण, टर्न ओवर का प्रतिवेदन, किसी भी राज्य में काली सूची में दर्ज नहीं है, इस आशय का शपथ–पत्र एवं प्रशिक्षित टेक्नीशियन की सूची आदि के आधार पर संस्था/कम्पनी की सूची तैयार कर राज्य स्तर पर उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा।

(ख) सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी में से किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था/कम्पनी का चुनाव कर सकेंगे।

(ग) कार्य कराने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित संस्था/कम्पनी के पास संयंत्र स्थापना हेतु प्रशिक्षित टेक्नीशियन उपलब्ध है।

(घ) आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् संस्था/कम्पनी द्वारा आपूरित संयंत्र की गुणवत्ता का सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा किया जायेगा।

XIV. संस्था/कम्पनी का दायित्व–

(क) किसानों को गोबर/बायो गैस इकाई संयंत्र स्थापना की स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 40 दिनों के अंदर संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर गैस उत्पादन प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) गोबर/बायोगैस इकाई का पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें।

(ग) संयंत्र स्थापित करने के पश्चात् तीन साल तक गैस उत्पादन होता रहे, इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

XV. पदेन कर्तव्य एवं दायित्वः–

I. कृषि समन्वयक का दायित्व–

(क) इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार अपने क्षेत्रों में किसान सलाहकार के सहयोग से करना सुनिश्चित करेंगें एवं अनुसूची–02 में गोबर/बायो गैस इकाई के लिए आवेदक का स्थल जाँच करना।

(ख) ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन को 07 दिनों के अंदर जाँच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(ग) गोबर/बायो गैस इकाई का दो चरणों का फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा–

(i.) प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल की स्थापना या दीनबन्धु मॉडल गोबर/बायो गैस इकाई निर्माण स्थल का ईट जोड़ाई स्तर के दौरान किसान के साथ Geo-tagged फोटोग्राफ।

(ii.) गोबर/बायो गैस इकाई पूर्ण होने के उपरांत गोबर/बायो गैस के उत्पादन स्थल का Geo-tagged फोटोग्राफ किसान के साथ अपलोड करना।

(घ) गोबर/बायो गैस इकाई निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना एवं अनुदान दावे का सत्यापन अनुसूची–05 (ऑन–लाईन अपलोड) में करते हुए किसान के साथ नवनिर्मित गोबर/बायो गैस इकाई का Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड सुनिश्चित करना।

(ड.) अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुसूची–04 का सत्यापन अनुसूची–05 में 03 (तीन) दिनों के अंदर करते हुए अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 ऑन–लाईन जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।

(च) पंचायत स्तर पर लाभार्थी किसानों का सभी आवश्यक कागजात एवं पंजी संधारण करना।

(छ) ऐसे कोई लाभार्थी किसान जिनके द्वारा अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक गोबर/बायो गैस का उत्पादन नहीं कर रहे हों, की सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

II. <u>प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व–</u>

(क) प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना।

(ख) प्रखंड स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।

(ग) वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण एवं पूर्णता से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(घ) प्रखंड क्षेत्र के अन्तर्गत वैसे किसान, जो अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत गोबर/बायो गैस का उत्पादन **आगामी 05 वर्षों** तक नहीं कर रहे हों (अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक) से वैसे किसान के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को सूचना देना।

III. <u>उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का दायित्व–</u>

(क) जिला स्तर पर स्वीकृत गोबर/बायो गैस इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करना।

(ख) जिला स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।

(ग) स्वीकृति पत्र प्राप्त लाभार्थी किसानों को गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना में लाभार्थी एवं संस्था/कम्पनी को आवश्यक दिशा–निर्देश देना सुनिश्चित करेंगें।

(घ) गोबर/बायो गैस संयंत्र निर्माण संस्था/कम्पनी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है अथवा नहीं अपने मंतव्य के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) गोबर/बायो गैस संयंत्र इकाई का निर्माण के उपरांत भुगतान दावे का अनुसूची–08 में भौतिक सत्यापन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगें।

IV. <u>जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व–</u>

(क) किसानों से प्राप्त गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु आवेदन को जॉचोपरांत स्वीकृति पत्र निर्गत करेंगे।

(ख) गोबर/बायो गैस इकाई की स्वीकृति के पश्चात् सभी लाभान्वित किसानों को गोबर/बायो गैस उत्पादन का प्रशिक्षण परियोजना निदेशक (आत्मा) के सहयोग से कलस्टर में देना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) अनुदान प्राप्त गोबर/बायो गैस इकाई का निर्माण एवं उत्पादन से संबंधित जिला स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के साथ समीक्षा करेंगें।

(घ) अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें एवं लाभुक की विवरणी ऑन–लाईन DBT Portal पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(ड.) गोबर/बायो गैस इकाई का अनुदान भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता में ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नकद अथवा चेक से हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

(च) योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्ण रूप से उतरदायी होंगे।

(छ) प्रत्येक माह के 05 वीं तिथि तक योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायो गैस को उपलब्ध कराना।

(ज) जिला कृषि पदाधिकारी, गोबर/बायो गैस संयंत्र के रख–रखाव के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रति जिला कम–से–कम 02 (दो) अधिकतम 05 (पाँच) ईच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु सूची तैयार कर निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

V. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व–

(क) अपने प्रमंडल अंतर्गत इस कार्यक्रम/योजना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगें।

(ख) कठिनाईयों को अपने स्तर से निराकरण कराना तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को इससे अवगत करेंगें।

(ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें।

VI. निदेशक, बामेती का दायित्व–

गोबर/बायो गैस संयंत्र के रख–रखाव हेतु ईच्छुक व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने के उपरांत प्रशिक्षण का व्यवस्था करना।

VII. कृषि निदेशक का दायित्व–

इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस संयंत्र निर्माण हेतु समय–सारणी

क्र0 सं0	संबंधित आवेदक /कर्मी/पदाधिकारी का दायित्व	प्रक्रिया	कार्य दिवस	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आवेदक/किसान	DBT Portal पर किसान द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन द्वारा आवेदन	30.09.2026 तक	DBT Portal के माध्यम से।
2	कृषि समन्वयक	आवेदन, पशु एवं स्थल का सत्यापन तथा अनुशंसा/अस्वीकृति (कारण सहित)	07 दिन	आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर मोबाईल ऐप द्वारा Geo Tagged फोटो एवं प्रपत्र के साथ अपलोड करना। कृषि समन्वयक के द्वारा निर्धारित समय में सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति मे आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्व–अग्रसारित हो जाएगा।
3	जिला कृषि पदाधिकारी	आवेदन की स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत/अस्वीकृत करने पर कारण सहित	05 दिन	आवेदन प्राप्ति के 05 कार्य दिवस के अंदर वेबसाईट के माध्यम से।
4	आवेदक/किसान	स्वीकृति पत्र मिलने के उपरांत निर्माण	25 दिन	25 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। निर्माण की सूचना संबंधित कृषि समन्वयक को देना होगा।
5	कृषि समन्वयक	निर्माण के फोटोग्राफ को अपलोड करना (Geo Tagged फोटो सहित)	निर्माण करते समय	किसान से सूचना प्राप्त होने तथा स्वयं निरीक्षण करने के समय।
6	आवेदक/किसान	निर्माण के उपरांत गोबर/बायो गैस का उत्पादन	15 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 40 दिनों के अंदर गोबर/बायो गैस का उत्पादन
7	आवेदक/किसान	अनुदान दावा		गोबर/बायो गैस का उत्पादन होने पर अनुसूची–04 के अनुसार।
8	कृषि समन्वयक	सत्यापन एवं आवेदन का अग्रसारण	03 दिन	अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 के साथ App के माध्यम से अपलोड करना।
9	जिला कृषि पदाधिकारी	सत्यापनोपरांत एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुदान का भुगतान करना एवं लाभुक की विवरणी अपलोड करना।	10 दिन	अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने के उपरांत उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से अनुसूची–08 में सत्यापनोपरांत एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

ऑन–लाईन

दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल के तहत् गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

1. किसान का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. किसान का पूर्ण पता :
   ग्राम ....पोस्ट ....प्रखण्ड ....
   थाना ....जिला ....दूरभाष / मो० ....
4. किसान का श्रेणी : (✓ का निशान लगायें।)
   (क) कृषक मजदूर / सीमान्त / लघु / मध्यम / बड़े किसान
   (ख) सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक
   (ग) पुरूष / महिला
5. गोबर गैस का प्रकार– दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल
6. गोबर गैस संयंत्र की क्षमता)– 02 घनमीटर
7. तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले सेवा प्रदात्ता का नाम–
8. भूमि का विवरण (जहॉ गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापित किया जायेगा)–
   मौजा..खाता संख्या..................................प्लॉट संख्या.........................रकबा.......
   ....
9. चौहद्दी–उत्तर–..................................दक्षिण–...............................
   पूरब–..................................पश्चिम–..
10. गोबर के लिए पशुओं की सं0–
11. बैंक खाता सं..बैंक का नाम............................IFSC कोड सं॰ ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही है। मेरे द्वारा बायोगैस संयंत्र स्वयं की जमीन पर स्थापित किया जायेगा। संयंत्र की जगह के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। मेरे द्वारा गोबर / बायो गैस स्थापित करने हेतु सहायता राशि कहीं से नहीं लिया गया है। मुझे ज्ञात है कि गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापित होने के उपरांत तथा गोबर / बायो गैस संयंत्र से गैस निकलने पर ही अनुदान देय होगा। मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

<u>अनुसूची–01</u>

दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस इकाई की स्थापना हेतु किसान का शपथ–पत्र

मैं......................................पिता................................ग्राम..........................थाना..................पो॰... ....जिला.............................शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि मेरे द्वारा अनुदान प्राप्त दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस इकाई से कम से कम 05 वर्ष तक गोबर/बायो गैस का उत्पादन किया जायेगा।

1. 05 वर्ष से पूर्व गोबर/बायो गैस इकाई से उत्पादन बंद होने की स्थिति में अनुदान राशि की वसूली की जा सकेगी।
2. मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची–02

दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर / बायो गैस आवेदन का जाँच–पत्र

1. किसान / आवेदक का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. ग्राम.............................पंचायत.......................प्रखण्ड.....................जिला........................
4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हॉ / नहीं)–
5. गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु जमीन की उपलब्धता (निजी / लीज)–
6. जमीन की चौहद्दी–

   उत्तर.......................... दक्षिण ....

   पूरब........................... पश्चिम............................
7. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)–...................................
8. गोबर की उपलब्धता–
9. स्पष्ट मंतव्य–

तिथि–..

....

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

नाम–

अनुसूची–03

दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु स्वीकृति पत्र

पत्रांक : .... दिनांक :................................

1. किसान/आवेदक का नाम : .... पिता/पति का नाम : .... ग्राम .... प्रखण्ड...................... जिला.......................... आपके द्वारा समर्पित दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र जांचोपरांत सही पाया गया है।
2. जॉचोपरांत 02 घनमीटर के दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना सिर्फ अपनी भूमि पर ही करेंगे।
4. गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना कार्यपूर्ण होने एवं संयंत्र से विधिवत्त गैस निकलने के उपरान्त ही अनुदान दावा समर्पित किया जाय। अनुदान दावे के साथ दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल में दो चरणों का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (क) प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल संयंत्र की स्थापना करते समय या दीनबन्धु मॉडल हेतु किये गये नींव की खुदाई स्तर एवं ईट जोड़ाई स्तर के दौरान का किसान के साथ फोटोग्राफ।
   (ख) संयंत्र पूर्ण होने के बाद किसान का कृषि समन्वयक के साथ फोटोग्राफ।
   दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल का गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने पर तथा संयंत्र का फोटोग्राफ समर्पित किया जायेगा। गोबर/बायो गैस संयंत्र का सत्यापन कराकर एक सप्ताह के अन्दर अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाता में किया जायेगा।
5. दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल में कम–से–कम 10 X 12 वर्गफीट भूमि/स्थान की आवश्यकता होगी।
6. 2 घनमीटर का गोबर/बायो गैस प्लान्ट स्थापित करने पर कुल लागत का 50% या अधिकतम 21000 रू0 (दोनों में से जो कम हो) + 1500 रुपये (टर्न की राशि कम्पनी को) अनुदान देय होगा।
7. अनुदान दावे का स्थलीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के समय सीमा के अन्दर यदि आपके द्वारा अनुदान हेतु कोई दावा प्राप्त नही होता है तो आपकी स्वीकृति पत्र रद्द समझी जायेगी तथा अनुदान के लिए उनकी प्राथमिकता समाप्त समझी जाएगी।
9. लाभार्थी द्वारा अनुदान भुगतान हेतु संबंधित दावा अंतिम रूप से जनवरी, 2027 तक संबंधित कृषि समन्वयक को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् दावा विचारणीय एवं मान्य नहीं होगा।
10. गोबर/बायोगैस संयंत्र इकाई के अनुदान दावे का भुगतान कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के मार्च–27 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जायेगा।

तिथि : .... जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची–04

दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस के अनुदान दावा हेतु किसान/आवेदक द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. किसान/आवेदक का नाम–
2. पिता/पति का नाम–
3. ग्राम.......................... पंचायत .... प्रखण्ड.......................................जिला...........................
4. बैंक खाता सं॰...बैंक का नाम...
5. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र सं० .... दिनांक ....
6. गोबर/बायो गैस का प्रकार– दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल
7. गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं मोबाईल नं0– (जिससे संस्थापन कराया गया है). ....
8. गोबर/बायो गैस का आयतन–02 घनमीटर
9. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरुप गोबर/बायो गैस संयंत्र का फोटोग्राफ कृषि समन्वयक के साथ समर्पित किया गया है
10. मुझे..बैंक..................................शाखा के मेरे खाता संख्या–................ ....जिसका IFSC Code.. है, में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गोबर/बायो गैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। मेरा गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस भी निकल रहा है तथा इससे मैं संतुष्ट हूँ। उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध संवैद्यानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का नाम/हस्ताक्षर/तिथि

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची–05

दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर / बायो गैस संयंत्र के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान / आवेदक का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. किसान का पूर्ण पता :
   ग्राम .... पंचायत ....पोस्ट ....प्रखण्ड ....
   थाना ....जिला ....दूरभाष / मो० ....
4. किसान का श्रेणी : (✓ का निशान लगायें।)
   (क) कृषक मजदूर / सीमान्त / लघु / मध्यम / बड़े किसान
   (ख) सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक
   (ग) पुरूष / महिला
5. गोबर / बायो गैस का प्रकार– दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल
6. गोबर / बायो गैस संयंत्र का आयतन–
7. भूमि का विवरण–
   मौजा.......................... खाता संख्या ....प्लॉट संख्या..........................रकबा......................
8. चौहद्दी–
   उत्तर.......................... दक्षिण .... पूरब........................ पश्चिम..............................
9. बायोगैस संयंत्र स्थापित करने वाले संस्था / कम्पनी का नाम, पता एवं मोबाईल नं0–..............................
   ....
10. गोबर / बायो गैस संयंत्र शौचालय से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं–
11. गोबर / बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है अथवा नहीं–
12. गोबर / बायो गैस स्थापना एवं सत्यापन की तिथि–
13. गोबर / बायो गैस का चुल्हा एवं अन्य सामग्री सहित कुल मूल्य–
14. लाभार्थी द्वारा भुगतान की गयी राशि–
15. अनुदान की राशि–

मैंने लाभार्थी के घर जाकर स्थापित गोबर / बायो गैस का निरीक्षण किया है। लाभार्थी कृषक ने उपर्युक्त प्रतिष्ठान के माध्यम से गोबर / बायो गैस संयंत्र स्थापित कर लिया है तथा यह सही–सही कार्य कर रहा है। इसलिए इन्हें अनुदान देने की अनुशंसा की जाती है।

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

तिथि–

नाम–

Annexure -6 अनुसूची - 6

बायोगैस/गोबर गैस का माडल (2 घन मीटर) 184

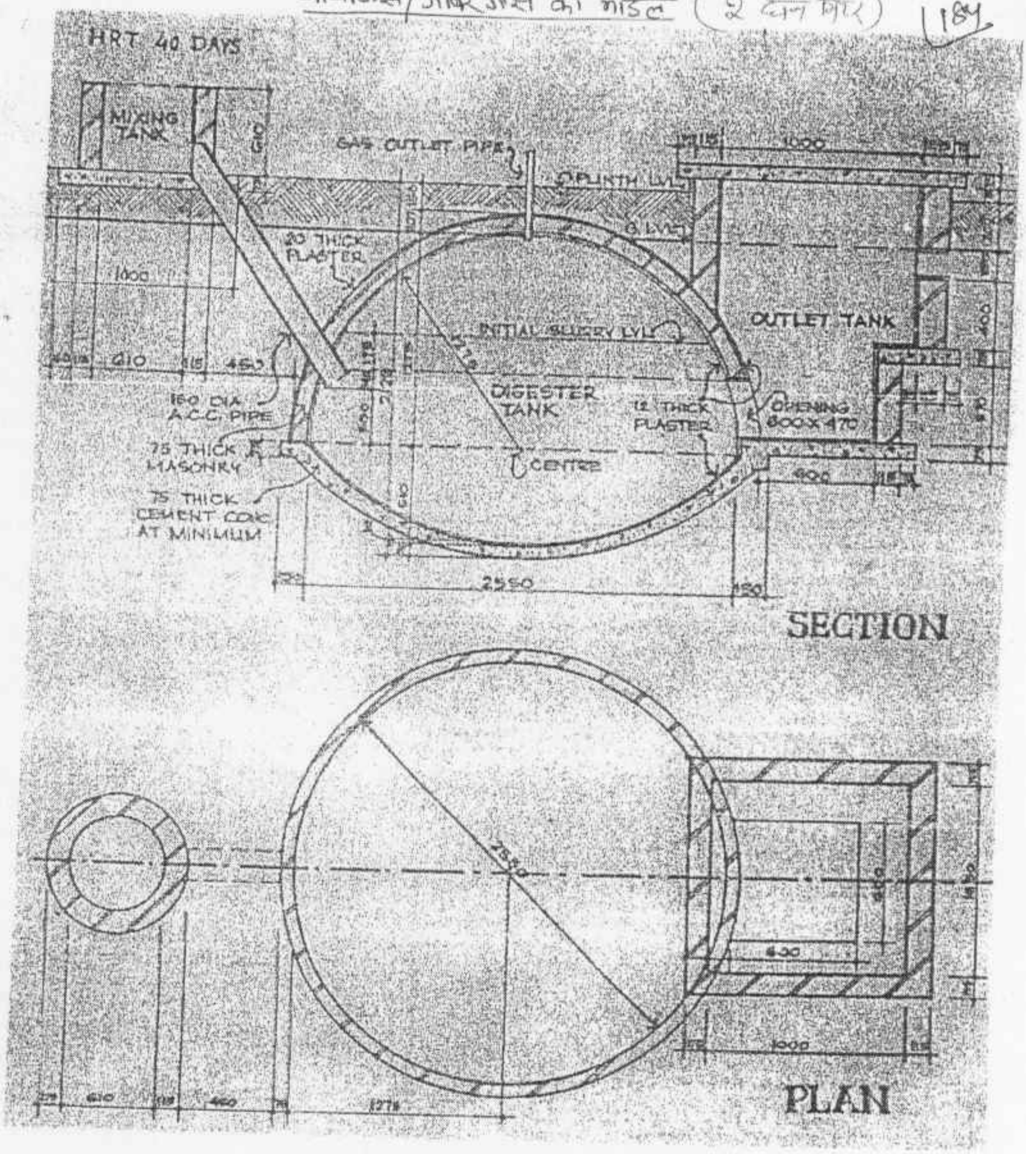

अनुसूची - 07

(81)

Model Estimate for Construction of 2 m³ Bio-gas Plant

1.	Pit digging – 1.25 m x 3.0 m $\pi \times (\frac{1.25}{2})^2 \times 3.0 = 3.68m^3$ @ 130.80/m³	Rs. 481.34
2.	Cost of Bricks (2800 Nos) @ 6012.0/0/00	Rs. 16833.60
3.	Cost of Cement (22 bags) @ 310/bag	Rs. 6820.00
4.	Sand (9 m³) @ 145.20/m³	Rs. 1306.80
5.	Total No. of labour required, 13 No. @ 242.0/No.	Rs. 3146.00
6.	Total No. of mansion required, 4 No. @ 295.0/No.	Rs. 1180.00
7.	Clay or metal pipe (20 cm dia) 10m length @ 174.30/m	Rs. 1743.00
8.	Copper wire screening (25 cm x 25 cm)	Rs. 500.00
9.	Rubber or Plastic hose	Rs. 150.00
10.	Gas outlet pipe (3 cm dia)	Rs. 600.00
11.	Pipe (7.5 cm dia) 1.00 m length (gas cap guide)	Rs. 500.00
12.	Pipe (7.0 cm dia) 2.0 m length (Centre guide)	Rs. 800.00
13.	Mild steel sheet (0.32 mm to 1.63 mm thick)-4.5 m² Size of gas cap – dia – 1.15 m hight – 1.00 m	Rs. 2500.00
14.	Mild steel Rod (for bracing) 25 m length (10 mm) Approx. weight – 1.54 kg or 0.00154 MT) @ 46947.50/MT	Rs. 70.42
15.	Water proof coating (paint/tar/asphalt etc) 3.5 l @240.39/l	Rs. 841.36
16.	Cost of tools as welding equipment, shovels, metal saw blades etc	Rs. 1500.00
17.	Carriage cost of materials and equipments	Rs. 3000.00
		Total :- Rs. 41972.11
		Or, say Rs. 42000.00
		(Rs. Forty Two thousand only)

21/03/2018

उप निदेशक (बि० अभि०)
तकनीकी सं० नि० (बि० अभि०)
बिहार, पटना

21/03/18

नागेन्द्र शास्त्री
प्रभारी-उप योजना पदाधिकारी
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

अनुसूची–08

दीनबन्धु मॉडल / प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर / बायोगैस इकाई के अनुदान दावा भुगतान हेतु जाँच प्रतिवेदन

1. निरीक्षण की तिथि :–...स्थानः–...
2. किसान / लाभुक का नाम एवं पताः–..

....

3. पिता / पति का नामः–...
4. गोबर / बायोगैस इकाई की स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक :–...
5. गोबर / बायोगैस इकाई स्थल का विवरणीः– ग्राम..........................पंचायत................................... प्रखंड..................जिला............................
6. गोबर / बायोगैस निर्मित इकाई का पूर्ण ब्योरा–

   (i.) निर्मित गोबर / बायोगैस इकाई का विवरणः–

क्रं0 सं0	गोबर / बायोगैस इकाई का क्षमता (2 घनमीटर)
1.	

7. गोबर के लिए पशुओं की संख्या–
8. गोबर / बायोगैस इकाई का उत्पादन हो रहा हैः– हाँ ☐ नहीं ☐ (कृपया ✓करें)
9. बायोगैस संयंत्र स्थापित करने वाले संस्था / कम्पनी का नाम, पता एवं मोबाईल नं0–......................

....

....

10. निरीक्षण पदाधिकारी का मंतव्य (अनुदान भुगतान के संबंध में) –

उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची–09

दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु संतुष्टि प्रमाण पत्र

मै...................................पिता/पति...............................ग्राम...........................पंचायत ....पो0. ....थाना.................प्रखंड................जिला.......................बिहार का रहने वाला/वाली हूँ।

मैं निम्नलिखित बातों का सत्य एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ कि–

1. यह कि मुझे गोबर/बायो गैस संयंत्र के दीनबन्धु मॉडल/प्री–फेब्रिकेटेड मॉडल के स्थापना हेतु जिला कृषि पदाधिकारी .... के द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका स्वीकृति पत्र संख्या......................एवं दिनांक...................... है।
2. यह कि मैंने पूरी राशि लगाकर 02 (दो) घनमीटर का उपर्युक्त मॉडल का गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित कराया है।
3. यह कि मेरा गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस का उत्पादन हो रहा है तथा मैं इससे संतुष्ट हूँ।
4. यह कि दो घनमीटर क्षमता के गोबर/बायो गैस संयंत्र के उपर्युक्त मॉडल के लिए टर्न की कुल राशि 1500 रू0 गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान मे0......... .... को भुगतान किया जा सकता है।

गवाह–

....

....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम................................

पता................................

मोबाईल नं0......................

तिथि..............................